आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

P.D Case No. 01/2016-17

सरकार बनाम मो० मदन सोरेन

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक– 93/सा०, दिनांक–09.11.16 के द्वारा उनके न्यायालय के वाद P.A case No.11/93-94 में दिनांक–27.07.16 को पारित आदेश जिसमें मौजा–बरियारपुर के प्रधानी नियुक्ति को निरस्त करने हेतु प्राप्त है, के आधार पर प्रारम्भ हुआ है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A case No.11/93-94 में दिनांक–27.07.16 के आदेश में वर्णित है कि मदन सोरेन को वंशानुगत आधार पर दिनांक–16.12.1998 को तत्कालीन विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा प्रधान नियुक्त करते हुए उन्हें जमानत राशि जमा कर काबुलियत पट्टा दिनांक–31.01.1999 तक समर्पित करने का निदेश दिया गया था। मदन सोरेन द्वारा दिनांक–02.02.1999 को जमानत राशि कोषागार चलान द्वारा जमा किया गया, लेकिन काबुलियत पट्टा समर्पित नहीं किया गया।

उत्तरवादी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मदन सोरेन मौजा–बरियारपुर के प्रधान है एवं उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के वाद P.A Case No. 11/93-94 में दिनांक–16.12.98 को पारित आदेश के द्वारा S.P.T Act 1949 की धारा 06 के तहत् प्रधान बनाया गया। श्री सोरेन को काबुलियत पट्टा दिनांक–31.01.1999 तक दाखिल करने हेतु निदेश दिया गया। उनके द्वारा 02.02.99 तक सुरक्षित राशि जमा कर दिया गया जो कि मात्र 2 दिनों का विलम्ब था। विपक्षी द्वारा दिनांक–03.02.99 को काबुलियत भी समर्पित किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कार्यालय में कहीं भूला गया।

उनके द्वारा 02.02.99 को 231रू0 का चलान भी जमा किया गया है। अतः कबुलियत नहीं जमा करने की उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। लगभग 18 वर्षो तक उनसे प्रधान का कार्य लेकर अब कबुलियत पर प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी परिस्थित में चूकि उनके विरूद्ध ग्रामीण एवं रैयतों का कोई विरोध नहीं है, बेहतर होगा उनसे कबुलियत प्राप्त कर लिया जाय।

अभिलेख इस निदेश के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा को अग्रेतर कार्यवाही के लिए वापस किया जाता है।

लेखापित।

20/07/17

उपायुक्त,
जामताड़ा।

20/07/17

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
Adv
03/08/17

DB/44 dt. 10.8.017